



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072022-237353
CG-DL-E-19072022-237353

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3062]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2022/आषाढ़ 27, 1944

No. 3062]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2022/ASHADHA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2022

का.आ. 3222(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3318(अ), दिनांकित 13.10.2017 के द्वारा राजस्थान राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 552वि. को राजस्थान राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 552वि. के सवाई माणधोपुर से शिवपुर खंड के किमी 76.600 से किमी 112.000 तक 33.300 किमी निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर के साथ प्रतिशत पर तथा 0.400 किमी निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

तालिका-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05

बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और सदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा (चैनज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है।
राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में दौलतपुरा गांव के निकट रा.रा-552 के किमी 106.915 पर	33.300 किमी	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	0.400 किमी	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2021-22 के लिए 285.00 रु. (दो सौ पचासी रुपए मात्र) है और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

3. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

4. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

5. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1 ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

7. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

8. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

9. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 187.82 करोड़ रु. है। भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अधीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उद्ग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं. आरजे/डीपीपी/एपी/2017-18/1082-टोल अधिसूचना]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2022

S.O. 3222(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3318(E) dated 13.10.2017 issued under or section 5 of the National highway Act 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the National Highway 552 Extension as situated in the State of Rajasthan to the State Government of Rajasthan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicle at sixty percent of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 33.300 km and at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 0.400 km on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Sawai Madhopur to Sheopur section from km 76.600 to kilometre 112.000 of National Highway 552 Extn in the State of Rajasthan and authorises the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza(s) for net road length specified for such Fee Plaza(s): -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 106.915 of NH- 552 Extension Near Daulatpura village in Sawai Madhopur district of State Rajasthan	33.300 km	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	0.400 km	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 285.00 (Rupees Two Hundred and Eighty Five only) for the year 2021-22 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number Period of one-way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle..

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

8. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

9. The estimated capital cost of the project is Rupees 187.82 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed & the final capital cost will be notified separately. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RJ/DPP/AP/2017-18/1082-TollNotification]

AMIT VARADAN, Joint Secy.